सं0ई0एक्स0एन–एफ(1)–4 / 2017
हिमाचल प्रदेश सरकार
आबकारी एवं कराधान विभाग

प्रेषक

सचिव,
हिमाचल प्रदेश विधान सभा,
शिमला–171004

दिनांकः शिमला–2 22-8-2017.

विषयः– हिमाचल प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 10) को हिमाचल प्रदेश विधान सभा के सत्र में रखने बारे नोटिस।

महोदय,

मुझे आपको सूचित करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है कि मैं, हिमाचल प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 10) को विधान सभा के वर्तमान अधिवेशन में प्रस्तुत करना चाहता हूँ।

विधेयक की 120 प्रतियां (तीन अधिप्रमाणित प्रतियों सहित) संलग्न है। आपसे अनुरोध है कि विधेयक को विधान सभा में प्रस्तुत करने के लिए कार्यसूची में शामिल करने की कृपा करें।

भवदीय,

(प्रकाश चौधरी)
प्रभारी आबकारी एवं कराधान मन्त्री
हिमाचल प्रदेश

पृष्ठांकन सं0ई0एक्स0एन–एफ(1)–4 / 2017 दिनांकः शिमला–2 अगस्त, 2017.
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव (सा0प्र0) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2 को मन्त्रीमण्डल द्वारा 22.8.2017 को (मद सं0) लिए गए निर्णय के संदर्भ में ।
2. प्रधान सचिव विधि, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2
3. आबकारी एवं कराधान आयुक्त, हिमाचल प्रदेश, शिमला–9 को उपरोक्त विधेयक की तीन प्रतियों सहित।

(राकेश मैहता)
संयुक्त सचिव (आबकारी एवं कराधान)
हिमाचल प्रदेश सरकार
दूरभाषः 0177–2621895

2017 का विधेयक संख्यांक 10

हिमाचल प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2017

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2017

खण्डों का क्रम

खण्ड:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।
2. धारा 2 का संशोधन।
3. नई धारा 23क का अन्तःस्थापन।
4. 2017 के अध्यादेश संख्यांक 2 का निरसन और व्यावृत्तियाँ।

2017 का विधेयक संख्यांक 10

हिमाचल प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2017

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 (2012 का अधिनियम संख्यांक 33) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक।**

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 2017 है।

(2) यह 30 जून, 2017 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

धारा 2 का संशोधन।

2. हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 2 में,–

(i) खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"(गक) "क्लब" से, कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय अभिप्रेत है जो प्रमुखतः अपने सदस्यों को किसी अभिदान या किसी अन्य रकम के एवज में सेवाएं, प्रसुविधाएं या लाभ प्रदान करता है;";

(ii) खण्ड (ट) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"(टक) "होटल" के अन्तर्गत कोई भवन या भवन का कोई भाग अभिप्रेत है जहां किसी धनीय प्रतिफलार्थ, कारबार के फलस्वरूप, निवासीय आवास की व्यवस्था की जाती है;";

(iii) खण्ड (ढ) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(ढ क) "शराब विक्रय स्थान" से, खुदरा दुकानें अभिप्रेत हैं, जो शराब का विक्रय करने हेतु अनुज्ञप्त हों तथा इसके अन्तर्गत कोई होटल, क्लब, रेस्तरां या अधिसूचित स्थान नहीं होगा;";

(iv) खण्ड (द) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(द क) "अधिसूचित स्थान" से, कोई भवन या भवन का भाग और उससे सम्बद्ध परिसर तथा कोई विनिर्दिष्टतः सीमांकित भूमि अभिप्रेत है जिसमें ऐसे अधिसूचित स्थान के भीतर उपभोग हेतु किसी अनुज्ञप्ति के निबंधनों के अनुसार शराब का प्रदाय अनुज्ञात किया जाता है;";

(v) खण्ड (फ) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(फ क) "रेस्तरां" से, कोई वाणिज्यिक स्थापन अभिप्रेत है जहां भोजन तैयार किया जाता है और ग्राहकों को धनीय प्रतिफलार्थ परोसा जाता है;"; और

(vi) खण्ड (ब) के पश्चात निम्नलिखित नए खण्ड अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"(ब क) "शराब का विक्रय" से, किसी शराब विक्रय स्थान से, शराब विक्रय स्थान के परिसर से अन्यथा, किसी स्थान पर किसी क्रेता द्वारा उपभोग हेतु प्रतिफलार्थ शराब का ले जाया जाना अभिप्रेत है;

"(ब ख) "शराब का परोसना और उसका प्रदाय" से, अनुज्ञप्ति, जो इस शर्त पर जारी की जाती है कि ऐसी शराब का उपभोग ऐसे

होटल, क्लब, रेस्तरां या अन्य अधिसूचित स्थान के परिसर के भीतर किया जाएगा, के आधार पर क्लबों, रेस्तराओं, होटलों और किसी अन्य अधिसूचित स्थान पर प्रतिफलार्थ शराब उपलब्ध करवाना अभिप्रेत है।"।

3. मूल अधिनियम की धारा 23 के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:– नई धारा 23क का अन्तःस्थापन।

"23क. शराब का विक्रय या परोसा जाना और उसका प्रदाय.–(1) शराब का विक्रय केवल अनुज्ञप्त शराब विक्रय स्थानों के माध्यम से अनुज्ञात किया जाएगा, जो राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग या ऐसे राजमार्ग के साथ–साथ किसी सर्विस लेन के बाह्य किनारे से यथा लागू 220 या 500 मीटर की मोटर योग्य या पैदल दूरी के भीतर अवस्थित नहीं होंगे तथा ऐसे शराब विक्रय स्थान, ऐसे राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग से न तो दृष्टिगोचर होंगे और न ही प्रत्यक्षतः अभिगम्य होंगे।

(2) किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अनुज्ञप्ति धारण करने वाला प्रत्येक होटल, क्लब, रेस्तरां या कोई अधिसूचित क्षेत्र ऐसे क्लब, होटल, रेस्तरां या अधिसूचित स्थल के परिसरों के भीतर अपने सदस्यों, अतिथियों या अन्य व्यक्ति को, यह विचार किए बिना कि ऐसा क्लब, होटल, रेस्तरां या अधिसूचित स्थान किसी राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग पर या इसके निकट अवस्थित है, उपभोग हेतु ऐसी शराब परोसने एवं उसका प्रदाय करने का हकदार होगा:

परन्तु यदि कोई व्यक्ति किसी प्राइवेट स्थान पर शराब को परोसने हेतु अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त कर लेता है तो ऐसा स्थान इस धारा के प्रयोजन के लिए अधिसूचित स्थान समझा जाएगा।

(3) किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी होटल, क्लब, रेस्तरां या अन्य अधिसूचित स्थान को शराब के विक्रय हेतु जारी की गई कोई अनुज्ञप्ति, शराब परोसने एवं उसका

प्रदाय करने के लिए जारी की गई और सदैव जारी की गई समझी जाएगी और इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के समस्त सुसंगत उपबन्ध लागू रहेंगे जैसे कि वे शराब के विक्रय हेतु लागू थे।

स्पष्टीकरण.—शंका के निराकरण हेतु यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि शराब के विक्रय के लिए यथा लागू समस्त कर, शुल्क, उपकर या अन्य उद्ग्रहण शराब को परोसने या उसका प्रदाय करने हेतु तब तक लागू रहेंगे जब तक इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियम या अधिसूचना में अन्यथा विनिर्दिष्ट न किए जाएं।

2017 के अध्यादेश संख्यांक 2 का निरसन और व्यावृत्तियाँ।

4. (1) 2017 के अध्यादेश संख्यांक 2 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबधों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

अधिप्रमाणित

आबकारी एवं कराधान मन्त्री
हिमाचल प्रदेश।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

उन अनुज्ञप्त परिसरों, जहां शराब का विक्रय होता है या उसे परोसा जाता है या उसका जनसाधारण द्वारा उपभोग किया जाता है, को हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 के अधीन शराब के विक्रय के स्थान के रूप में जाना जाता है। राज्य में चल रहे शराब विक्रय स्थानों के अतिरिक्त, विभिन्न स्थानों पर होटलों और रेस्तरांओं, क्लबों और अन्य अधिसूचित स्थानों में बहुत से बार खुल गए हैं और अधिनियम में उन्हें श्रेणीवार परिभाषित करने तथा बाँटने हेतु कोई उपबन्ध नहीं है। जनसाधारण की सुविधा के लिए तथा समग्र रूप में सरकारी राजस्व में श्रेणीवार बढ़ौतरी मॉनीटर या सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम में स्पष्टता लाने हेतु उन स्थानों को परिभाषित और चिन्हित करने की आवश्यकता रही है जहाँ शराब का विक्रय होता है या जहाँ शराब को परोसा जाता है, उसकी आपूर्ति की जाती है या उसका उपभोग किया जाता है।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं थी और हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 का संशोधन करना अतिआवश्यक हो गया था इसलिए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्याः एल एल आर–डी(6)–9/2017–लैज, तारीख 30 जून, 2017 द्वारा हिमाचल प्रदेश आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 2017 (2017 का अध्यादेश संख्यांक 2) को प्रख्यापित किया गया था जिसे राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में 30 जून, 2017 को ही प्रकाशित किया गया था । अब यह अध्यादेश बिना किसी उपान्तरण के एक नियमित विधान द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को बिना किसी उपान्तरण के प्रतिस्थापित करने के लिए है।

(प्रकाश चौधरी)
प्रभारी मन्त्री।

अधिप्रमाणित

शिमलाः
तारीखः.........................2017

आबकारी एवं कराधान मन्त्री
हिमाचल प्रदेश।

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के उपबन्ध अधिनियमित किए जाने पर विद्यमान सरकारी तन्त्र के माध्यम से प्रवर्तित किए जाएंगे और राजकोष से कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा।

प्रत्यायोजित विधान सम्बंधी ज्ञापन

–शून्य–

हिमाचल प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2017

हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 (2012 का अधिनियम संख्यांक 33) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक।**

(प्रकाश चौधरी)
प्रभारी मन्त्री।

(डा0 बलदेव सिंह)
प्रधान सचिव (विधि)।

शिमलाः
तारीखः.................................2017

अधिप्रमाणित

आबकारी एवं कराधान मन्त्री
हिमाचल प्रदेश।

इस संशोधन विधेयक द्वारा संभाव्य प्रभावित होने वाले हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 (2012 का अधिनियम संख्यांक 33) के उपबन्धों के उद्धरण

धारा :

2. परिभाषाएं.––इस अधिनियम में, जब तक कि कोई बात विषय या सन्दर्भ में विरूद्ध न हो,––

(क) "बियर" से चीनी और हॉप्स के संयोजन के साथ या उसके बिना माल्ट अथवा अनाज से तैयार ऐल्कोहलिक पेय अभिप्रेत है तथा इसके अन्तर्गत ब्लैक बियर, जौ की शराब, यवसुरा, जौ की तीव्र लाल मदिरा और ऐसे अन्य पदार्थ, जैसे राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, भी हैं;

(ख) "बोतल में भरना" से पीपे (कास्क) या अन्य बर्तन से बोतल या अन्य अनुमोदित पात्र में शराब डालना अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत पुनः बोतल में भरना भी है;

(ग) "ब्रुअरि" से ऐसा परिसर अभिप्रेत है जहां बियर विनिर्मित की जाती है और इसमें प्रत्येक ऐसा स्थान सम्मिलित है जहां बियर का भण्डारण किया जाता है या जहां से यह दी (भेजी) जाती है;

(घ) "कलक्टर" से इस अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

(ङ) "विकृत" से कारगर तौर पर और स्थायी रूप से मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त कर देना अभिप्रेत है;

(च) "डिस्टिलरि" से ऐसा परिसर अभिप्रेत है जहां स्पिरिट विनिर्मित की जाती है, और इसमें प्रत्येक ऐसा स्थान सम्मिलित है जहां इसका भण्डारण किया जाता है या जहां से यह दी (भेजी) जाती है;

(छ) "आबकारी शुल्क" और "प्रतिशुल्क" से, यथास्थिति, ऐसा कोई आबकारी शुल्क या प्रतिशुल्क अभिप्रेत है जो भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में सूची-II की प्रविष्टि 51 में यथा वर्णित है;

(ज) "आबकारी अधिकारी" से इस अधिनियम की धारा 6 के अधीन नियुक्त या शक्तियों से विनिहित कोई अधिकारी या व्यक्ति अभिप्रेत है;

(झ) "आबकारी राजस्व" से इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन उद्गृहीत या संदेय किसी संदाय, शुल्क, अनुज्ञप्ति फीस या अन्य फीस, अधिरोपित जुर्माना या शास्ति या आदेशित अधिहरण से व्युत्पन्न या व्युतपाद्य राजस्व अभिप्रेत है, परन्तु इसके अन्तर्गत न्यायालय द्वारा अधिरोपित जुर्माना नहीं है;

(ञ) "निर्यात" से केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा परिभाषित सीमा शुल्क सीमांत क्षेत्र से अन्यथा, हिमाचल प्रदेश से बाहर ले जाना अभिप्रेत है;

(ट) "वित्तायुक्त" से धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त अभिप्रेत है;

(ठ) "आयात" से ("भारत में आयात" अभिव्यक्ति में के सिवाय) केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा परिभाषित सीमा शुल्क सीमांत क्षेत्र से अन्यथा हिमाचल प्रदेश में लाना अभिप्रेत है;

(ड) "अनुज्ञप्ति" से इस अधिनियम के अधीन प्रदान की गई अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है;

(ढ) "शराब" से मादक शराब अभिप्रेत है और जिसके अन्तर्गत सभी द्रव हैं, जिनमें एल्कोहल विद्यमान है या प्रयुक्त है चाहे उसे किण्वन द्वारा या पश्चात्वर्ती आसवन द्वारा अभिप्राप्त किया है और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई पदार्थ भी है जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा शराब घोषित करे;

(ण) "विनिर्माण" के अन्तर्गत ऐसी कोई प्रक्रिया है, चाहे प्राकृतिक हो या कृत्रिम, जिसके द्वारा किसी भी प्रकार की शराब का उत्पादन किया जाता है या उसे तैयार किया जाता है और इसके अन्तर्गत पुनः आसवन तथा शराब के परिशोधन, अवकरण, सुवासन, सम्मिश्रण या रंजन करने या बोतलीकरण के लिए प्रत्येक प्रक्रिया भी है;

(त) "औषधीय निर्मितियों" और "प्रसाधन निर्मितियों" के वही अर्थ होंगे जो औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पादन शुल्क) अधिनियम, 1955 में उनके हैं;

(थ) "शीरा" से खाण्डसारी चीनी सहित, गुड़ या चीनी के विनिर्माण की अन्तिम अवस्था में गन्ने या गुड़ से उत्पादित गहरा काला रंगीन चिपचिपा तरल (द्रव) अभिप्रेत है, जब तरल (द्रव) या किसी ऐसे रूप में या चीनी सहित मिश्रण हो, जिसे किण्वित किया जा सके;

(द) ''अधिसूचना'' से इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन जारी तथा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(ध) ''पास'' से ऐसा दस्तावेज अभिप्रेत है जो शराब के हटाए जाने या उसके परिवहन को वस्तुतः प्राधिकृत करता है;

(न) ''अनुज्ञापत्र'' से गंतव्य स्थान से सम्बद्ध जिला के कलक्टर या शराब के आयात और परिवहन के लिए इस निमित्त प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा जारी अनापत्ति का कथन अभिप्रेत है; और इसके अन्तर्गत खुदरा बिक्री की सीमा से अधिक शराब के कब्जे को प्राधिकृत करने वाला दस्तावेज अभिप्रेत है;

(प) ''स्थान'' के अन्तर्गत कोई भवन, दुकान, टैन्ट, अहाता, बूथ, यान, जलयान, नौका (बोट) और राफ्ट है;

(फ) 'विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ब) ''विक्रय'' के अन्तर्गत दान से अन्यथा कोई अन्तरण है;

(भ) ''राज्य'' से हिमाचल प्रदेश राज्य अभिप्रेत है;

(म) ''राज्य सरकार'' से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

(य) ''स्पिरिट'' से आसवन द्वारा प्राप्त कोई ऐल्कोहलयुक्त तरल (द्रव) चाहे विकृत हो अथवा नहीं, अभिप्रेत है;

(यक) ''परिवहन'' से राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाना अभिप्रेत है;

(यख) ''यान'' से किसी भी प्रकार का पहिएदार वाहन अभिप्रेत है जो चलाए जाने के लिए सक्षम है और इसके अन्तर्गत एअरक्राफ्ट, नौका (बोट), जलयान, राफ्ट, मोटर यान, छकड़ा और पशु द्वारा वहन भी है;

(यग) ''भाण्डागार'' से ऐसा स्थान अभिप्रेत है जहां शराब का भण्डारण अनुज्ञात है और इसके अन्तर्गत विनिर्माणशाला का सुसंगत भाग भी है; और

(यघ) ''वाइनरि'' से ऐसा परिसर अभिप्रेत है जहां मदिरा (वाइन) विनिर्मित की जाती है और इसमें प्रत्येक ऐसा स्थान सम्मिलित है जहां इसका भण्डारण किया जाता है या जहां से यह भेजी जाती है।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 10 OF 2017

THE HIMACHAL PRADESH EXCISE (AMENDMENT) BILL, 2017

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

THE HIMACHAL PRADESH EXCISE (AMENDMENT) BILL, 2017

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses :

1. Short title and commencement.
2. Amendment of section 2.
3. Insertion of new section 23A.
4. Repeal of Ordinance No. 2 of 2017 and savings.

Bill No. 10 of 2017

THE HIMACHAL PRADESH EXCISE (AMENDMENT) BILL, 2017

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Excise Act, 2011 (Act No. 33 of 2012).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-eighth year of the Republic of India as follows:—

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Excise (Amendment) Act, 2017. Short title and commencement.

(2) It shall be deemed to have come into force on 30th June, 2017.

2. In section 2 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011 (hereinafter referred to as the "principal Act"),— Amendment of section 2.

(i) after clause (c), the following new clause shall be inserted, namely:—

"(ca) "club" means any person or body of persons providing services, facilities or advantages, primarily to its members, for a subscription or any other amount;";

(ii) after clause (k), the following new clause shall be inserted, namely:—

"(ka) "hotel" includes a building or a part of a building where residential accommodation is, by way of business, provided for a monetary consideration;";

(iii) after clause (n), the following new clause shall be inserted, namely:—

"(na) "liquor vends" means retail shops that are licensed to sell liquor and shall not include any hotels, clubs, restaurants or notified place;";

(iv) after clause (r), the following new clause shall be inserted, namely:—

"(ra) "notified place" means any building or part of a building and the premises appurtenant thereto and any specifically demarcated land wherein the supply of liquor in terms of a licence is permitted for consumption within such notified place;";

(v) after clause (v), the following new clause shall be inserted, namely:—

"(va) "restaurant" means a commercial establishment where meals are prepared and served to customers for a monetary consideration;"; and

(vi) after clause (w), the following new clauses shall be inserted, namely:—

"(wa) "sale of liquor" means the transfer of liquor for consideration by a liquor vend for consumption by a purchaser at a place other than the premises of the liquor vend;

(wb) "service and supply of liquor" means the provision of liquor for consideration at clubs, restaurants, hotels and any other notified place on the basis of licence that is issued on the condition that such liquor shall be consumed within the premises of such hotel, club, restaurant or other notified place;".

Insertion of new section 23A.

3. After section 23 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:—

"23A. Sale or Service and Supply of Liquor- (1) The sale of liquor shall be permitted only through licensed liquor vends which shall not be located within motorable or walking distance of 220 meters or 500 meters, as applicable, from the outer edge of the National or State Highway or by a service lane along such highway and such liquor vends shall neither be visible nor directly accessible from such National or State Highway.

(2) Notwithstanding anything contained in any judgment, decree or order of any court, tribunal or authority, every hotel, club, restaurant or any notified place having a licence shall be entitled to engage in the service and supply of liquor to members, guests or other persons for consumption of such liquor within the premises of such club, hotel, restaurant or notified place, irrespective of whether such club, hotel, restaurant or notified place, is located on or near any State or National Highway:

Provided that if any person obtains permit for serving of liquor at a private place, then such place shall be considered as notified place for the purpose of this section.

(3) Notwithstanding anything contained in any judgment, decree or order of any court, tribunal or other authority, any licence issued to any hotel, club, restaurant or other notified place for the sale of liquor shall be deemed to have been and always be deemed to have been issued for the service and supply of liquor and all relevant provisions of this Act and the rules made thereunder shall continue to apply as they did for sale of liquor.

Explanation.— For the removal of doubt, it is hereby clarified that all taxes, duties, cess or other levies as applicable to sale of liquor shall apply to service and supply of liquor unless otherwise specified in this or any other Act, rule or notification made thereunder.".

Repeal of Ordinance No. 2 of 2017 and savings.

4. (1) The Himachal Pradesh Excise (Amendment) Ordinance, 2017 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

Authenticated

आबकारी एवं कराधान मन्त्री
हिमाचल प्रदेश।

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Licensed premises where liquor is sold or served or consumed by the public are considered as places of sale of liquor under the Himachal Pradesh Excise Act, 2011. Besides the liquor vends operating in the State, a large number of bars in hotels and restaurants, clubs and other notified places have come up at various places and there is no provision in the Act to define and segregate them category wise. There was an urgent need to define and identify the places where liquor is sold or where liquor is served, supplied or consumed to provide clarity in the Act for the benefit of general public and overall to monitor and ensure the category wise increase in the Government revenue.

Since, the Himachal Pradesh Legislative Assembly was not in session and the Himachal Pradesh Excise Act, 2011 had to be amended urgently, therefore, the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred under clause (1) of article 213 of the Constitution of India promulgated the Himachal Pradesh Excise (Amendment) Ordinance, 2017 (Ordinance No.2 of 2017) vide Notification No. LLR-D(6)-9/2017-Leg. dated 30th June, 2017 which was published in the Rajpatra on the same day. Now, the said Ordinance is being replaced by a regular legislation without any modification.

This Bill seeks to replace the aforesaid Ordinance without any modifications.

(PRAKASH CHAUDHARY)
Minister-in-charge.

SHIMLA :
The............., 2017

Authenticated

आबकारी एवं कराधान मन्त्री
हिमाचल प्रदेश।

FINANCIAL MEMORANDUM

The provisions of the Bill when enacted are to be enforced through the existing Government machinery and there will be no additional expenditure from the State exchequer.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—Nil—

THE HIMACHAL PRADESH EXCISE (AMENDMENT) BILL, 2017

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Excise Act, 2011 (Act No. 33 of 2012)

(PRAKASH CHAUDHARY)
Minister-in-Charge.

(Dr. BALDEV SINGH)
Pr. Secretary (Law).

Authenticated

आबकारी एवं कराधान मन्त्री
हिमाचल प्रदेश।

SHIMLA:
The……………., 2017

EXTRACT OF THE PROVISIONS OF THE HIMACHAL PRADESH EXCISE ACT, 2011 (ACT NO. 33 OF 2012) LIKELY TO BE AFFECTED BY THIS AMENDMENT BILL.

Section:

2. Definitions.— In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context,—

(a) "beer" means alcoholic beverage prepared from malt or grain with or without addition of sugar and hops and includes black beer, ale, stout, porter and such other substance as may be specified by the State Government;

(b) "to bottle" means transfer of liquor from a cask or other vessel to a bottle or other approved receptacle and includes rebottling ;

(c) "brewery" means premises where beer is manufactured and includes every place therein where beer is stored or wherefrom it is issued;

(d) "Collector" means any officer appointed by the State Government, under sub-section (2) of section 5 of this Act;

(e) "denatured" means effectually and permanently rendered unfit for human consumption;

(f) "distillery" means premises where spirit is manufactured and includes every place therein where it is stored or wherefrom it is issued;

(g) "excise duty" and "countervailing duty" mean any such excise duty or countervailing duty, as the case may be, as is mentioned in entry 51 of List-II of the Seventh Schedule to the Constitution;

(h) "Excise Officer" means any officer or person appointed, or invested with powers, under section 6 of this Act;

(i) "excise revenue" means revenue derived or derivable from any payment, duty, license fee, or other fee levied or payable, fine or penalty imposed or confiscation ordered under this Act, or the rules made thereunder, but does not include a fine imposed by a court of law;

(j) "export" means to take out of Himachal Pradesh otherwise than across a custom frontier as defined by the Central Government;

(k) "Financial Commissioner" means the Excise and Taxation Commissioner appointed under sub-section (1) of section 5;

(l) "import" (except in the phrase "import into India") means to bring into Himachal Pradesh otherwise than across a customs frontier as defined by the Central Government;

(m) "license" means a license granted under this Act;

(n) "liquor" means intoxicating liquor and includes all liquid consisting of or containing alcohol, whether obtained by fermentation or by subsequent distillation, and also includes any substance which the State Government may, by notification, declare to be liquor;

(o) "manufacture" includes any process, whether natural or artificial by which any liquor is produced or prepared, and also re-distillation, and every process for the rectification, reduction, flavoring, blending or colouring or bottling of liquor;

(p) "medicinal preparations" and "toilet preparations" shall have the same meaning as assigned to them under the Medicinal and Toilet Preparations (Excise Duties) Act, 1955;

(q) "molasses" means heavy dark coloured viscous liquid produced, in the final stage of manufacture of Gur or Sugar including Khandsari Sugar, from sugar cane or Gur, when liquid as such or in any form or admixturer containing sugar which can be fermented;

(r) "notification" means a notification issued under this Act or the rules made thereunder and published in the Official Gazette;

(s) "pass" means a document which actually authorizes the removal or transportation of liquor;

(t) "permit" means a no objection statement issued by the Collector of the district of destination concerned or an officer authorized in this behalf in the import and transport of liquor and includes a document authorizing possession of liquor exceeding the limit of retail-sale;

(u) “place” includes a building, shop, tent, enclosure, booth, vehicle, vessel, boat and raft;

(v) “prescribed” means prescribed by rules made under this Act;

(w) “sale” includes any transfer otherwise than by way of gift;

(x) “State” means the State of Himachal Pradesh;

(y) “State Government” means the Government of Himachal Pradesh;

(z) “spirit” means any liquor containing alcohol obtained by distillation, whether denatured or not;

(za) “transport” means to move from one place to another place within the State;

(zb) “vehicle” means wheeled conveyance of any description, which is capable of being used for movement and includes aircraft, boat, vessel, raft, motor vehicle, a cart and any carriage by cattle;

(zc) “warehouse” means a place where storage of liquor is permitted and includes a relevant part of manufactory; and

(zd) “winery” means premises where wine is manufactured and includes every place therein where wine is stored or wherefrom it is issued.